

नियमावली

- (1) संस्था का नाम — मोमीन अन्सार सोसाइटी दिस्तीली
 (2) संस्था का पता — याम दिस्तीली, पो० चनुकी, चहरील माटपारानी,
 जिला देवरिया।
 (3) संस्था का कार्यालय — तमूर चत्तर प्रदेश।
 (4) संस्था का उद्देश्य — जैसा की स्मृति पत्र में दिया गया है।
 (5) संस्था की सदस्यता — संस्था के उद्देश्यों, नियमों में निष्ठा रखने
 वाले विभिन्न सदस्यों की सदस्यता निम्नवत है।

1) **संस्थापक सदस्य**— संस्था का गठन करने वाले सदस्य जिनका विकाला स्मृति पत्र में
 दिया गया है तथा जिन्होंने संस्था को मुश्त मुद्रिण 500/- संस्था
 या इससे अधिक वीं वर्तावि वा योगदान संस्था के बढ़ में दिया है,
 संस्था के संततमक सदस्य कहायाएं, उक्त संस्थापक सदस्यों द्वारा नी
 वार्तिक रूप से संस्था के द्वित वे योगदान जिम्मेदार तरह करना
 आवश्यक होगा इनकी सदस्यता आजीवन होती।

2) **आजीवन सदस्य**— वह व्यक्ति जो संग्रह द्वित में संस्था के उद्देश्यों के अनुसार
 कार्य करने के लिए रजिस्टर हो और संस्था को मुद्रिण 100/-
 संस्था सदस्यता शुल्क के रूप में प्रदान करे, उसे प्रश्न समिति के
 द्वारा उपर्युक्त वर्तावि के दस्तावेज संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जा सकता।

3) **चारोंन्य सदस्य**— संस्थान्य सदस्य संस्था के कोड में 50/- रुपया वार्तिक शुल्क
 द्वारा करके संग्रह सदस्य बन सकते।

4) **मनोनीत सदस्य**— संस्था द्वारा दित में सदिव/प्रबद्ध द्वारा संग्रह के विभिन्न
 विकालों को संस्था के मनोनीत सदस्य के रूप में नामित किया जा
 सकता, जिन्होंने संस्था विकाला एवं होती तथा जिन्होंने भत देने का
 अधिकार महीं प्राप्त होता इनकी सदस्यता अवधि एक वर्ष की होती।

(6) **संस्थापक समाप्ति**—

- अ) निम्मलिखित वर्तावों में सदस्यता त्यात सम्भव हो जायेगी—
 1) सदस्य की मृत्यु होने पर।
 2) सदस्य के पापाल होने पर।
 3) न्यायालय द्वारा सदस्य को विधालिया घोषित किये जाने पर तथा गवर्नर गवर्नरम में दम्भित
 किये जाने पर।
 4) निम्मापित अवधि पर शुल्क न उभा करने पर।
 5) संग्रहालय तीम ईलाको ने दिनांकित ईम काल्प के मनुष्यान्धि रहने पर।
 6) त्याग पत्र दे देने पर।

इच्छालिए

अगुणुलग्न

संस्थापक रामलक्ष्मी
 दिनांक २५/१२/२०२३
 विधालिया द्वारा दिनांक २५/१२/२०२३
 दिनांक २५/१२/२०२३

"प्रधानमहात्मा"



- (६) संख्या के उदारशयों के विपरीत आवश्यक स्थिति दो जाने पर अधिकारी सम्मान के हितों के लिए संस्थान कार्य करने पर विशेष सदस्य की सदस्यता प्रबन्ध समिति द्वारा ही निरसा कि जा सकती।
- (७) संस्था के अंग-आ) साधारण समा ब) प्रबन्धकारिणी समिति/कार्यकारिणी समा
- अ) साधारण समा -
- १) गठन - साधारण समा का गठन संस्था के नियम पांच में दिये गए सामान्य वाक्यों में सुनिश्चित करना।
 - २) बैठक - साधारण समा की बैठकों सामान्यतः प्रति वर्ष एक बार कावरय द्वारा करेगी।
 - ३) सूचना अधिकारी - साधारण समा की प्रत्येक बैठक के लिए नियमित तिथि से सात दिन पूर्व जारीक लदस्य को सूचना भेजी जाएगी। विशेष या आकस्मिक बैठक के लिये २४ घण्टे पूर्व सूचना दी जायेगी।
 - ४) गणपूर्ति - साधारण समा की प्रत्येक बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या की २/३ उपस्थिति गणपूर्ति भागी जाएगी। गणपूर्ति के अन्यत ने स्थानित बैठक के लिये गणपूर्ति की जावश्यकता नहीं होती।
 - ५) वार्षिक अधिवेशन - संस्था का वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष प्रबन्धसमिति द्वारा नियांसित लिये पर संवादन होगा।
 - ६) अधिकार एवं कर्तव्य -
 - १) प्रत्येक वर्ष गठन साधारण समा के सदस्यों में से प्रबन्धसमिति के सदस्यों व पदाधिकारियों का चुनाव करना।
 - २) संस्था को नियमित रूप करना।
 - ३) प्रबन्धसमिति द्वारा अनुत्तर विषयों पर अपनी चयोहृति/असीद्धि प्रदान करना।
 - ४) अन्य उपर्युक्त कार्य जैसे जारी की संस्था के प्रभावों में सहयोगी हो।
 - ५) प्रबन्धसमिति
 - ६) नियन्त्रण - प्रबन्धसमिति का गठन संस्था के नियम पांच में दिये गए सामान्यों में से किसी जावश्यक विसर्जन कुछ सदस्य व पदाधिकारी मिला कर ०९ टोंगे जो नियमितिकाल पर में होंगे।
— जारीक १— उपराज्यम २— उपराज्यम ३— सचिव/प्रबन्धक ४— उपप्रबन्धक
५— प्राप्त सदस्य कार्यकारिणी।
 - ७) बैठक - प्रबन्धसमिति की वर्ष में कम से कम तीन बैठक अवश्य द्वारा सूचना प्रेरित कर जावश्यकी जायेगी जावश्यकता होने पर तीन से जाइक बैठक गी आवश्यकता की जा सकती।
 - ८) चुनाव - प्रबन्धकारिणी समिति एवं पदाधिकारियों का चुनाव साधारण समा के बहुपत् द्वारा कराया जायेगा।
 - ९) सूचना अधिकारी - प्रबन्धसमिति की प्रत्येक बैठक के लिए नियांसित लिये से तीन दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचना भेजी जायेगी। विशेष या आकस्मिक बैठक के लिए २४ घण्टे पूर्व सूचना ही जा सकती।

[Signature]

इत्योन्मुक्त

कार्यकारिणी

N
2023-24

- 5) रिक्त स्थानों की पूर्ति - प्रकाशनियों के सदस्य के लिए स्थान की पूर्ति रोप आदेश
की अधीनी के लिए प्रकाशनियों सम्पादन सम्बन्ध के सदस्यों ने सुन कर लिखा है।
- 6) कर्तव्य एवं अधिकार -
- 1) सत्त्वा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियारित कार्यकारी का चयन व उनका नियालालूपक
अधिकार / क्रियान्वयन करना।
 - 2) अपने वय के सत्त्वा जीवन विवाह करना तथा अधिक अपने वय का बजट बना कर तात्परण
समझ से अनुमोदन करना।
 - 3) संस्था के क्षेत्र को बढ़ाना और प्रदाना एवं आधारकाल अनुदान कार्यालय के स्थानान्तरण
करना।
 - 4) कार्यकारी की नियुक्ति व मूलिक तथा उप समितियों का भरन करना।
 - 5) संघीय/प्रबन्धक द्वारा प्राप्त डिसाइन ड्रग्राम के स्पष्टीकरण करना।
 - 6) सत्त्वा के विकास हेतु जवाहरक छाई-कार्यालय।
 - 7) अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों ने दान एवं चयाहर प्राप्त बनाना।
 - 8) आनंदीय, केन्द्रीय सम्बन्ध, राष्ट्रीय एवं स्वीकृत राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के संशोलन हेतु अपने व
अनुदान प्राप्त करना।
 - 9) विदेशी द्वारा प्रदानी विदेशी संस्थानों द्वारा तालिकाएँ सम्पादिती का गठन करना।
 - 10) केन्द्रीय समाज संबन्धित सलाहकार घोष, देव, नाना संसाधन विकास सम्बन्ध, कार्यालय एवं
जन्म समाज द्वारा संस्थानों से दान बना व अनुदान प्राप्त करना।

सत्त्वा कार्यकाल - प्रकाशनियों का कार्यकाल पाठ वर्ष का होगा।

(iv) पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

- 1) नियन्त्रण -
- 2) सभी द्वारा दिये गए अवकाश करना तथा नियन्त्री प्रस्ताव व उपाय व उपाय
एवं विवाहित सम्बन्धों के देना।
प्रकाशनियों की अपने हाथों द्वारा दिया गया विषयान्वयन करना और समय
समय सहाय्यकारी विदेशी द्वारा दीला और तथिद/प्रबन्धक एवं अधिक पदाधिकारियों के
सहयोग वा सहाय्यकारी विदेशी द्वारा दीला वित्तीय सामग्रीों से सहयोग एवं सहायता
देना।
- 3) राष्ट्रीय विदेशी के पूर्ण के बाधत जातीयक सत्त्वा अथवा पदाधिकारियों दो देना तथा
समर्थन को नियुक्त करना।
- 4) सम्बन्ध - अपना की अनुसन्धियों ने उसके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा
अपना द्वारा दीपे गए नारी को चुनाव तम से करना तथा अपने का पूर्ण लक्ष्यों के करना।
- 5) संघीय/इकाय - संघीय/प्रबन्धक के नियन्त्रिति अधिकार होने -
- 6) सत्त्वा की समस्त दृष्टिकोणों के अनुचित रूप, उनके अधोक्षण की पूर्ण व्यवस्था, अथवा
पदाधिकारियों के सहयोग से करना।
- 7) सत्त्वा की सातत कार्यकारी विकास व अधिकारियों को नियार करना/कराना।
- 8) सम्भा के प्रश्न समीक्षा के समस्त प्रत्यावर्ती पर आदेशों को कार्य रूप में परिवर्तित करना।

"प्रबन्धक"

३० नवम्बर, २०२२ द्वारा जीव भट्ट
प्रबन्धक, जीव भट्ट, विवाहित सम्बन्ध




- 5) रिक्त स्थानों की पूर्ति – प्रबन्धसमिति के उद्देश्य के रिक्त स्थान की पूर्ति तैयार कार्यकाल की जरूरि के लिए प्रबन्धसमिति सम्बारण सभा के सदस्यों में से करेगी।
- 6) कर्तव्य एवं अधिकार –


- 1) सत्या के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियंत्रित कार्यकालों का वयन व उनका सफलतापूर्वक आयोजन/ क्रियान्वयन करना।
- 2) जनव्यय का तथा जोखा तैयार करना तथा वार्षिक आय व्यय का बजट बना कर सम्बारण सभा से अनुमोदन करना।
- 3) सत्या के क्षेत्र को बढ़ाना और घटाना एवं आवश्यकता अनुसार कार्यालय का रखानान्तरण करना।
- 4) कार्यकालों की नियुक्ति व मुक्ति तथा उप समितियों का गठन करना।
- 5) सचिव/प्रबन्धक द्वारा प्राच्छ ठिकाने किताब व प्रगति रिपोर्ट भेजूर करना।
- 6) सत्या के विकास हेतु अवश्यक कार्य करना।
- 7) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा अप्रवासी भारतीयों से दान एवं उपहार प्राप्त करना।
- 8) ग्रान्तीय, केंद्रीय सरकार, संसद् एजेंसी तथा दूसरे कार्यकालों के सम्बान्ध हेतु व्यय व अनुदान प्राप्त करना।
- 9) विशेषज्ञ, दृष्टजीवियों से धनादान लेना तथा सलाहकार समितियों का गठन करना।
- 10) केंद्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, रेक, मानव संसाधन विकास संशालन, कर्पार्ट व अन्य समाज सेवी संस्थाओं से दान, कर्ज व अनुदान प्राप्त करना।

7) सत्या का अवधारणात्मिति डा कार्यकाल पौंच वर्ष का होगा।

पदाधिकारियों का अधिकार एवं कर्तव्य

- 1) सत्या के सभी दृष्टजीवों की अवधारणा करने का तथा किसी प्रस्ताव पर समान मत आने पर अपना एक लौटावका नियमितीय लेना।
- 2) प्रबन्धसमिति की ओर सत्या समस्त पदाधिकारियों में कार्यों का विभाजन करना और सत्यव्यय, प्रबन्धसमिति की समितियों को सौमना और सचिव/प्रबन्धक व अन्य पदाधिकारीयों के उपयोग से जरूराती सलाहकारी विभागों तथा जन्म वित्तीय संस्थाओं से सहयोग एवं सहायता लेने का।
- 3) सत्या के उद्देश्यों के पूर्ति के बाबत आवश्यक सत्याह अन्य पदाधिकारियों को देना तथा समर्थन को भज्जूत करना।
- 4) उपचाका – अधिका की अनुपस्थिति में उसके समर्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा उच्चाह द्वारा सौंपे गए आयों को सुचारू रूप से करना तथा अध्यक्ष डा पूर्ण उपयोग करना।
- 5) सचिव/प्रबन्धक – सचिव/प्रबन्धक के नियन्त्रिति अधिकार होगे –
 - 1) सत्या की समस्त बैठकों को आमंत्रित करना, उनके आयोजन की पूर्ण व्यवस्था अव्यय पदाधिकारीयों के सहयोग से करना।
 - 2) सत्या की समरत कार्यालयी विभागों व सभी अभिलेखों को तैयार करना/कराना।
 - 3) सत्या के प्रबन्ध समिति के समर्त प्रस्तावों एवं आदेशों को कार्य कर में परिवेत करना।

 **Dr. K. S. Venkateswaran**

 **Dr. M. S. Srinivasan**

 **Dr. P. R. Venkateswaran**

- 4) सख्त की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना और अल अनुपान तथा क्रय विक्रय के समस्त कामकाली पर हस्ताक्षर करना।
- 5) सख्त की ओर उच्चल सम्पति की सुख्ता करना तथा जिसी पर लेना देना व डिमिन कार्यों की देख रेख करना।
- 6) सख्त के आगे — व्यवहार के लिए लिंगाह सख्त रिपोर्ट प्रबन्धसमिति के सम्मान स्वरूप।
- 7) सख्त एवं उसके द्वारा सचालित सख्ताओं के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करना, कौन वृद्धि गिलजन, बहाल जावि प्रबन्धसमिति के अनुमोदन पर करना।
- 8) सख्त के संभित/प्रबन्धक के लघु में सख्त के लिए गे और सख्त के उददेश्यों की पूर्ति के लिए अन्य समस्त कार्यों को करना।
- 9) सख्त के सभी घोजाऊओं को जागू करने के दिशा में कार्य करना।
- 10) सख्त के कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार उपलब्धियों का गठन करना व उपलब्धियों के प्रभारी की नियुक्ति करना तथा प्रबन्धसमिति के नियोगियों का अनुमालन करना/करना।
- 11) समस्त विल बाउचरों, अनुबन्ध पत्रों, नियोगियों आदरण पत्रों व्यादि पर हस्ताक्षर करना।
- 12) सख्त की ओर से समस्त अदालती कार्यवाही करना।
- 13) सदस्यों की सदस्यता हेतु स्पोष्टि प्रदान करना।
- सेवा की समस्त चर्चा व अचल सम्पत्ति की सुख्ता करना और उस पर नियंत्रण करना।*
- कार्यपाल/द्वारी कमीशन के नियमानुसार कार्यकारी का संचालन करना एवं वे वित्तीय संख्याओं पर अनुदान प्राप्त करना तथा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार से सहमोग जाए।*
- 14) अधिकारीयों के लिए उनके आवश्यकन करना तथा न्याय समत दिशा निर्देश देना।
- 15) सख्त का कार्यपाल कार्यपालक के लघु में करना।
- 16) उच्चरबवक/उच्चरबव/प्रबन्धक के अनुलिखित में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा उनका प्राप्त अड्योग करना।
- कार्यपाल : कार्यपाल के निम्न अधिकार हैं :-*
- 1— सचिव/प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित विलों को पास करना।
 2— सचिव/प्रबन्धक द्वारा तापे गये कार्यों को सुख्ता रूप से करना।
 3— सख्त छित्र में जन सम्पर्क भर पान एकत्रित करना।
 4— सेवा के लोगों को अधिक से अधिक सदस्य बनाना।
- (9) सख्त का कोष —
- a) सख्त की उददेश्यों की पूर्ति के लिए सख्त का अपता एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार का सदस्यता गुला, दान, अनुदान, एवं सर्वकारी, गृहसरकारी, प्रतिकानों से ली गई राशियां निहित होंगी।
- b) सख्त के शोष की व्यवस्था के लिए हस्तांतरे की राशि वित्ती सम्प्रीकृत/मान्यता प्राप्त वैक में खोले जायेंगे जिसका संचालन उपायकारी व संभित/प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षरे द्वारा किया जाएगा।

- (10) लोक्या परीक्षण — सत्या का उल्लंघन प्रबन्धात्मिति हारा नियुक्त किसी भी सदस्य द्वारा किया जाने आवश्यक होने पर चाटह एकाउन्टेन्ट हारा भी किया जा सकेगा।
- (11) अदालती कार्यवाही — इस सत्या हारा या इसके विशेष किसी प्रकार की अदालती कार्यवाही का तयारी संग्रह/प्रबन्धक द्वारा किया जा सकेगा।
- (12) संस्था के अग्रिमेत्य — संस्था के अग्रिमेत्य या तैयार करने, तथा संस्था और सुखा का अग्रिम रजिस्टर/प्रबन्धक को डोगा नियमानुसारित अग्रिमेत्य मूल्य तौर पर संस्था के अग्रिमेत्य होगे—
 1) सुखा रजिस्टर
 2) सायंकाही रजिस्टर
 3) तदस्या रजिस्टर
- सुखी रजिस्टर हरणादि।
- (13) नियमों में संशोधन — संस्था के नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन समाप्ति समाप्ति के 2/3 तदस्ये के समुदाय द्वारा किया जा सकेगा। तथा उद्देश्यों के प्राप्ती के लिए प्रबन्ध तभीती द्वारा उपर्युक्त तौर द्वारा जूँड़ जाएगे।
- (14) संस्था के विघटन की नियमिति — संस्था का विघटन होने की नियमिति में इसकी समस्त घर द. उद्देश्य सम्पत्ति का वितानण सोशलाइज रजिस्ट्रेशन एक्ट की घटा 13 व 14 के अनुसार बनाये जाएगा।

दिनांक _____

सत्य प्रतिलिपि

N
रामेश्वर

द्वारा

आमिलक

सत्य - प्रतिलिपि

सामग्र रेस्टर
अम सोशलाइज जन विद्या
प्र०/१० गोप्ता

सत्य करा...
अमाव करा...
द्वारा

द्वारा

द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा

